FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम बड़ीसादड़ी

श्री गौतम बनाम श्री लखमा

किस्म मुकद्दमा 53 R.T. Act नं. 38/18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/8/18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट R.C. Uheda पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि गौतम पिता धन्ना मीणा एवं लखमा पिता धन्ना नि० आफरी का तलाब का नामपत्र नकल दिनांक मंजूर प्रेरणा मांगा पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा आफरी का तलाब (1) गौतम पिता धन्ना R.C. आफरी का तलाब नामपत्र (2) लखमा पिता धन्ना नि० आफरी का तलाब नामपत्र इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बड़ीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम	

(जि[illegible] कुमार पाण्डे)

पीठासीन अधिकारी, [illegible]

[illegible] अधिकारी [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official